छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
नया मंत्रालय भवन, रायपुर

कमांक एफ 7–3/2018/10–2 रायपुर, दिनांक 26/05/2018

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषयः– भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के प्रकरणों में वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करने के संबंध में

संदर्भः– 1. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 16.10.2000
2. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 31.10.2001
3. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 23.12.2002
4. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 19.09.2003
5. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 15.06.2004
6. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 21.11.2005
7. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 26.12.2007
8. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 08.04.2009
9. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का पत्र क./5–3/2007– FC, दिनांक 05.02.2009
10. अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–30/547 दिनांक 22.02.2018

वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
गढ़, रायपुर

——000——

1.0 भारत शासन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 16.10.2000 (संदर्भ–1) एवं पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 31.10.2001 (संदर्भ–2) से वन भूमि पर भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सामान्य अनुमोदन जारी करते हुए, इस हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दो वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी, तथा यह शर्त अधिरोपित की गई थी कि आवेदक संस्थान को स्थानीय अधिनियमों/नियमों इत्यादि के अंतर्गत राज्य शासन, वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

2.0 भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र कमांक/11–9/98–FC, दिनांक 23.12.2002 (संदर्भ–3) द्वारा उक्त समयावधि को एक वर्ष के लिए अर्थात 15.10.2003 के लिए बढ़ाया गया। पुनःश्च भारत सरकार के पत्र कमांक/11–9/98–FC, दिनांक 19.09.2003 (संदर्भ–4) द्वारा उक्त समयावधि को 15.10.2005 तक के लिए बढ़ाया गया। इसके उपरांत भारत सरकार के पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 21.11.2005 (संदर्भ–6) द्वारा उक्त समयावधि को 15.10.2007 तक के लिए बढ़ाया गया। फिर भारत सरकार के पत्र कमांक/11–9/98– FC, दि. 26.12.2007 (संदर्भ–7) द्वारा उक्त समयावधि को 31.12.2008 तक के लिए बढ़ाया गया। तदुपरांत भारत सरकार के पत्र कमांक/11–9/98 –FC, दिनांक 08.04.2009 (संदर्भ–8) द्वारा उक्त समयावधि को आगामी आदेश तक के लिए बढ़ाया गया है। अतः उक्त सामान्य अनुमोदन वर्तमान में प्रभावशील है।

APCCF (LM)

3.0 भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के द्वारा पत्र क्रमांक/11–9/98 – FC, दिनांक 15.06.2004 (संदर्भ–5) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि संदर्भ पत्र 1 और 2 के तहत उल्लेखित कार्यों के प्रकरण में चूँकि वृक्षों का विदोहन शामिल नहीं है अतः क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।

4.0 भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय के द्वारा पत्र क्र. /5–3/2007–FC, दि. 05.02.2009 (संदर्भ–9) के माध्यम से लेख किया गया कि भूमिगत आप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है, बशर्ते कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो एवं आवेदित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो।

5.0 भारत सरकार के आदेश के अनुक्रम में भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के संबंध में, आवेदक/आवेदक संस्थाओं को आ रही विभिन्न कठिनाईओं को ध्यान में रखते हुये प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, छत्तीसगढ़ से क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारियों को वन भूमि पर राईट ऑफ वे के अंतर्गत प्रकरणों में भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र कमांक/11–9/98– FC, दिनांक 16.10.2000 (संदर्भ–1) के तहत अधिरोपित शर्तो के अधीन स्वीकृति जारी किये जाने के अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव संदर्भ पत्र–10 द्वारा प्राप्त हुआ है।

6.0 राज्य शासन द्वारा भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के संबंध में आवेदक/आवेदक संस्थाओं को आ रही विभिन्न कठिनाईओं को ध्यान में रखते हुये समस्त क्षेत्रीय वन मंडलाधिकारी को वन भूमि पर मार्ग के विद्यमान राईट ऑफ वे के अंतर्गत भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल के वन भूमि व्यपर्वतन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करने के अधिकार आगामी आदेश तक निम्न शर्तो तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदाय करता हैः–

i) इन निर्देशो के अंतर्गत वन मंडल अधिकारी, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की सीमा के बाहर, मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में, निर्धारित साईज (2 मीटर गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) की खन्ती हेतु अनुमति जारी कर सकते है। इसमें क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है।

ii) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।

iii) वन भूमि व्यपर्वतन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाएगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

iv) वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत टेलीफोन लाईन/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।

v) अगर प्रस्ताव में वृक्ष का विदोहन सम्मिलित है अथवा भूमिगत टेलीफोन लाईन/ आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल मार्ग के राईट ऑफ वे के बाहर है अथवा खंती का आकार अधिकतम 2 मी. गहराई एवं 1 मी. चौड़ाई से अधिक है, तो आवेदक द्वारा नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पृथक से प्रस्ताव राज्य शासन/भारत शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा।

vi) ऐसे प्रत्येक प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के द्वारा ऑन लाईन पंजीयन किये जाने के उपरांत ही वन मंडलाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त कर भूमिगत टेलीफोन लाईन/आप्टिकल फाईबर केबल/भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की स्वीकृति जारी करेंगे। प्रत्येक प्रकरण में निर्धारित पंजीयन एवं प्रोसेसिंग फीस की वसूली की जाएगी।

vii) आवेदक / आवेदक संस्थान को स्वीकृति जारी करने के पूर्व वन संरक्षण नियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव में वन अथवा पर्यावरण को हानि पहुंचने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जायेगी, इस आशय का वचन पत्र अनिवार्यतः सम्मिलित रहेगा।

viii) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

ix) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जाएगा।

x) कार्य उपरांत रखरखाव की अनुमति वन मंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खन्ती की खुदाई के उपरांत समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।

xi) समतलीकरण का कार्य आवेदक / आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।

xii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी / पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नही किया जाएगा।

xiii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में जारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.02.2009 के अनुसार भूमिगत आप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने के प्रकरणों में प्रत्याशा मूल्य से पूर्ण छूट का प्रावधान है बशर्ते कोई वृक्ष नहीं कट रहा हो एवं आबंटित वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य का भाग न हो। शेष कार्यो के लिए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि आवेदक संस्थान से स्वीकृति जारी करने के पूर्व वसूल की जाएगी।

xiv) खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

xv) यदि आवेदक / आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मंडलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

xvi) आवेदक / आवेदक संस्थान से लिखित में वचन–पत्र लिया जाएगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते मान्य होगी।

xvii) आवेदक / आवेदक संस्थान से जिन प्रकरणों में शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि ली जानी है उसे अग्रिम में जमा करने के उपरांत ही औपचारिक अनुमति कार्य करने हेतु प्रदान की जाएगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

xviii) भूमिगत टेलीफोन लाईन / आप्टिकल फाईबर केबल / भूमिगत विद्युत केबल के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक / आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर प्रस्तुत किया जावेगा। यदि छोटे बड़े झाड़ का जंगल या "Identified Forest" मद की भूमि प्रस्ताव में आ रही है तो उसको भी सम्मिलित कर एकजाई प्रस्ताव प्राप्त किये जाये, अर्थात यह सुनिश्चित किया जावे कि वन भूमि उपयोग का पूर्ण प्रत्यावर्तन प्रस्ताव उपयोगकर्ता संस्थान द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया जावे तथा प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरांत आदेश जारी किया जावे। एक ही भूमि के उपयोग के प्रस्ताव की स्वीकृति टुकड़ों में जारी नहीं होनी चाहिए। राजस्व वन क्षेत्र के लिए प्रस्ताव में कलेक्टर की अनापत्ति लगाना अनिवार्य होगा।

xix) आवेदक/आवेदक संस्थान से प्रत्येक प्रकरण में आवेदन के साथ पूर्ण विवरण व मानचित्र भी प्राप्त किया जाए ताकि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध द्वारा समय–समय पर निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेख प्राप्त कर वन मंडल कार्यालय में रखे जाएं।

7.0 उपरोक्तानुसार स्वीकृति जारी करते हुए वन मंडलाधिकारी इसकी एक प्रति संबंधित जिलाध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध एवं भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी पृष्ठांकित करेंगे। साथ ही अधिरोपित शर्तो की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) को भी भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उपरोक्त प्रकरणों में व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि के क्षेत्रफल का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी वन मंडलाधिकारी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) को भेजा जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(सी.के.खेतान)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

कमांक एफ 7–3/2018/10–2 रायपुर, दिनांक 26/05/2018

प्रतिलिपि :–

1. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.),** भारत सरकार–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर ईस्टर्न विंग, न्यू सेकेटेरियट बिल्डिंग, VCA स्टेडियम के सामने, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ।

2. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** छत्तीसगढ़, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3. **मुख्य वन संरक्षक,** रायपुर/दुर्ग/कांकेर/बिलासपुर/सरगुजा/जगदलपुर वृत्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

26/5/2018
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग